

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं० : 42 सन 2020

अनवान :-

1. सुनील पुत्र ताराचन्द जाति सैनी निवासी वार्ड संख्या 21 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :- श्री सुबोध कुमार अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 2/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 124/123 की कुल 16.3240 हैक् में 109-1/2 हिस्सा सयुक्त खाते में वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम सावंरमल पुत्र ताराचन्द दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी व का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , वार्ड पार्षद नगर पालिका नोहर का प्रमाण पत्र सभी में वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सावंरमल पुत्र ताराचन्द के स्थान पर सुनील पुत्र ताराचन्द दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सावंरमल पुत्र ताराचन्द के स्थान पर सुनील पुत्र ताराचन्द संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 124/123 की कुल 16.3240 हैक् में 109-1/2 हिस्सा सयुक्त खाते में वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम सावंरमल पुत्र ताराचन्द दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी व का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , वार्ड पार्षद नगर पालिका नोहर का प्रमाण पत्र सभी में वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सावंरमल पुत्र ताराचन्द के स्थान पर सुनील पुत्र ताराचन्द दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपस्थित अधिकारी
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 124/123 की कुल 16.3240 हैक् में 109-1/2 हिस्सा सयुक्त खाते में वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम सावरमल पुत्र ताराचन्द दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सुनील पुत्र ताराचन्द के स्थान पर सावरमल पुत्र ताराचन्द दर्ज किया गया है सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम सुनील पुत्र ताराचन्द दर्ज है। वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का नाम सुनील पुत्र ताराचन्द वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/रिपोर्ट के आधार पर वादी का सही नाम सुनील पुत्र ताराचन्द होना प्रतित होता है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नहीं किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश नहीं करना /वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 124/123 की कुल 16.3240 हैक् में 109-1/2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम सावरमल पुत्र ताराचन्द अंकित है के स्थान पर सुनील उर्फ सावरमल पुत्र ताराचन्द संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सुनील पुत्र ताराचन्द जाति सैनी निवासी वार्ड संख्या 21 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादी


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 42 सन 2020 निर्णय दिनांक-02/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता

वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 124/123 की कुल 16.3240 हैक् में 109-1/2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम सावरमल पुत्र ताराचन्द अंकित है के स्थान पर सुनील उर्फ सावरमल पुत्र ताराचन्द संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/9/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)